प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-28437/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2025), दिनांक 14.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव, ग्राम-बधाई, थाना-बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। जमीन के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर श्यामदेव व देवकीनन्दन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-24/2005 25/2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148 307/149, 302/149 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश (नव सृजित अस्थायी एक्स कैडर), गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-26.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 09 दिन मात्र की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा ने बन्दी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित किये जा सकने व जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर श्यामदेव व देवकीनन्दन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव (बंदी संख्या-66/2011) पुत्र श्री रामराज यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1525/2025/1503(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1525/2025/1503/22-2-2025-17(1092)/2023

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव, ग्राम-बधाई, थाना-बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। जमीन के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर श्यामदेव व देवकीनन्दन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-24/2005 25/2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148 307/149, 302/149 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश (नव सृजित अस्थायी एक्स कैडर), गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-26.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 09 दिन मात्र की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा ने बन्दी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित किये जा सकने व जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर श्यामदेव व देवकीनन्दन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।